2 13/6/13

...य उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज०)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
51/13	251 R.T.A.	कोहड़ी	छीपा०

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
चम्पालाल	बनाम	सरकार

वकील :- RP गोयल **आदेश पत्रक** वकील :- सरकार

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
21/5/13	वकील प्रार्थी ... प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 R.T.A. ... प्रस्तुत किया ... दर्ज ... सम्मन ... तामील ... 27/5/13 को पेश है।	
27/5/13	वकील प्रार्थी श्री आर० पी० गोयल उप० है। अनुसार सम्मन तामील ... फरीक सरकार उप० है। सम्बन्धित आराजी ग्राम कोहड़ी ख.नं. 334/22 रकबा ... के सीमाज्ञान एवं पत्थर गाढ़ने आदेश जारी किये। तहसीलदार छीपाबड़ौद से रिपोर्ट तलब कर दिनांक 13/6/2013 को पेश हो।	667 27/5/13
27-4-17	पत्रावली वकील प्रार्थी के निवेदन पर तलब कर आज पेश हुई प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प मोहनपुरा पर दिनांक 26.5.17 को पेश हो।	
26.5.17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प मोहनपुरा पर आज पेश हुई प्रार्थी ... प्रार्थी को सुना गया। ... के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ... निर्णय ... से किया जाकर ... किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील वकील के दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प मौखमपुरा
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां

प्रकरण संख्या :– 77/2017 दावा
दायरा दिनांक :– 27.04.2017
निर्णय दिनांक :– 26.05.2017

उनवान

चम्पालाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी कोहडी तहसील छीपाबडौद जिला बारां

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 26.05.2017

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0नं0 234/22 रकबा 3 बीघा मौजा कोहडी में स्थित हैं जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजीयात की सीमा व मेड के संबन्ध में पडौसी काश्तकारों से हमेशा विवाद बना रहता है तथा पडौसी काश्तकार वादी के खाते व कब्जे की भूमि की मेडे तोडने के लिए प्रयासरत रहते है इसलिए वादी उक्त विवाद को हमेशा के लिए खत्म करवाना चाहता है। दिनांक 13.05.2013 को उक्त वर्णित आराजियात के आसपास के व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो वादी ने मना किया तो उन्होने आयन्दा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 13.05.2013 को उक्त वर्णित आराजियात पर पडौसी काश्तकारों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर तथा उसी दिन वादी द्वारा प्रतिवादी कम 1 से विवादित आराजियात का सीमा ज्ञान करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलव किया गया। वादी ग ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कोहडी संवत 2066–68 खाता संख्या 16 पेश की ग पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में उपस्थित होने के लिए नोटिस ज किये गये। वादी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प मोखमपुरा पर उपस्थित हुआ। वादी कथन है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी की हैं। पडौसी खातेदारान जबरन मेड तोडकर क करने का प्रयास करते है। इसलिए आपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान क पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। जिससे पडौसी काश्तकारों से किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो सके।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी पैरोकार सरकार का कथन है कि वादी आपने खाते की आराजी का सीमाज्ञान कराकर **पत्थरगढी** करवाना चाहता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम जमाबन्दी ग्राम कोहडी संवत 2066–68 खाता सख्या 16 के ख0न0 234 / 22 रकबा 3 बीघा चम्पालाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी कोहडी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज हैं। वादी अपने खाते एवे कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करा कर पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे पडौसी काश्तकार व खातेदारों से किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प मोखमपुरा पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम कोहडी के ख0नं0 234 / 22 रकबा 3 बीघा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हीरालाल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

Scanned by CamScanner